**दिल्ली विकास प्राधिकरण**

**(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)**

संख्याः एफ.2(2)2016/एमसी/डीडीए/204 दिनांकः 28 नवंबर, 2016

**विषयः दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।**

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को राज निवास, दिल्ली में आयोजित हुई बैठक का संलग्न कार्यवृत्त का अवलोकन करें। कार्यवृत्त में यदि किसी प्रकार का संशोधन है तो कृपया 7 दिनों के अंदर प्रस्तावित किया जाए।

 **(डी.सरकार)**

 **आयुक्त एवं सचिव**

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग

उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

1. श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

1. डॉ. महेश कुमार

अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

1. श्री संतोष कुमार

वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. (स्थानापन्न)

1. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा

अपर सचिव, शहरी कार्य मंत्रालय

1. श्री बी.के. त्रिपाठी

सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी

1. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष

1. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
2. श्री एस.के.बग्गा, विधायक
3. श्री ओ.पी.शर्मा, विधायक
4. श्री सतीश उपाध्याय

निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

1. श्री हर्षदीप मल्होत्रा

निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

विशेष आमंत्रिती:

1. श्री के.के.शर्मा

मुख्य सचिव, जी.एन.सी.टी.डी.

1. श्री जनक दिगल

प्रधान सचिव (यूडी) जीएनसीटीडी

1. श्री एस.एन.सहाय

अपर सचिव (वित्त), जी.एन.सी.टी.डी.

1. श्री विजय कुमार

उपराज्यपाल, दिल्ली के सचिव

1. श्री ए.अंबारसु

सचिव (एल एंड बी), जी.एन.सी.टी.डी.

1. श्री के.के.जोद्दार

मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.

1. डॉ. पुनीत कुमार गोयल

आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

1. श्री प्रवीन गुप्ता

आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

1. श्री मोहनजीत सिंह

आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

1. श्री जे.पी.अग्रवाल

प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, आवास एवं राष्ट्रमंडल खेल), दि.वि.प्रा.

1. श्री श्रीपाल

प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भूमि प्रबंधन एवं प्रणाली), दि.वि.प्रा.

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती स्वाति शर्मा

उपराज्यपाल दिल्ली की विशेष सचिव

1. श्री आर.एन.शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

1. डॉ. सिमी मल्होत्रा

उपराज्यपाल, दिल्ली के सलाहकार (मीडिया, अकेडमिक्स, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज)

1. श्री अजय चौधरी

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी

1. श्री विश्वेन्द्र

उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

मंत्री (शहरी विकास), के निजी सचिव शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार का कार्यालय

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 18 नवम्बर 2016 को 3.00 बजे अपराह्न राज निवास, दिल्ली में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थेः

**अध्यक्ष**

श्री नजीब जंग

उपराज्यपाल, दिल्ली

**उपाध्यक्ष**

श्री उदय प्रताप सिंह

**सदस्य**

1. डॉ. महेश कुमार

अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

1. श्री संतोष कुमार

वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. (स्थानापन्न)

1. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा

अपर सचिव, एम.ओ.यू.डी., भारत सरकार

1. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं

राष्ट्रीय राजभाषा क्षेत्र दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष

1. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
2. श्री एस.के.बग्गा, विधायक
3. श्री ओ.पी.शर्मा, विधायक
4. श्री हर्षदीप मल्होत्रा, निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

**सचिव**

 श्री डी.सरकार

 आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

**विशेष आमंत्रित**

1. श्री के.के.शर्मा

मुख्य सचिव, जी.एन.सी.टी.डी.

1. श्री जनक दिगल

प्रधान सचिव (यू.डी.), जी.एन.सी.टी.डी.

1. श्री ए.अंबारसु

सचिव (एल एंड बी), जी.एन.सी.टी.डी.

1. श्री प्रवीन गुप्ता

आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

1. श्री पुनीत गोयल

आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

1. श्री मोहनजीत सिंह

आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

1. श्री जे.पी.अग्रवाल

प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान एवं आवास), दि.वि.प्रा.

1. श्री श्रीपाल

प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक एवं प्रणाली), दि.वि.प्रा.

**उपराज्यपाल सचिवालय**

1. श्री विजय कुमार

उपराज्यपाल, दिल्ली के सचिव

1. श्रीमती स्वाति शर्मा

उप राज्यपाल, दिल्ली की विशेष सचिव

1. श्री आर.एन.शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

1. श्री अजय चौधरी

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने श्री उदय प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. का दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष बनने के पश्चात् प्राधिकरण में उनकी प्रथम बैठक में अभिनंदन किया। माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का भी स्वागत किया।

**मद संख्या 104/2016**

**दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 10.8.2016 को राज निवास में आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

**एफ.2(2)2006/एमसी**/**डीडीए**

 प्राधिकरण की दिनांक 10.8.2016 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

**मद संख्या 105/2016**

**दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 10.6.2016 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट**

**एफ.2.(3)2016/एमसी/डीडीए**

प्राधिकरण की दिनांक 10.6.2016 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की गई।

**मद संख्या 106/16**

**फ्लैटों की मानक दर के लिए 1 अप्रैल 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक प्रभावी निर्माण के लिए कुर्सी क्षेत्रफल दरों (पीएआर) का निर्धारण**

**एफ.21(1671)/2001/एचएसी/पार्ट. III**

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या 107/16**

**योजना जोन-एफ में आने वाले एम्‍स ट्रामा सेंअर और सफदरजंग हॉस्‍पिटल स्‍पोर्टस इंजरी सेंअर के बीच भूमि की अदला-बदली में सफदरजंग एन्‍क्‍लेव के निकट 0.75 हैक्‍ट. प्‍लॉट के परिसर स्‍तर उपयोग का पीएसपी ‘पुलिस स्‍टेशन’ से पीएसपी ‘हॉस्‍पिटल’ में परिवर्तन के लिए दि.मु.यो.-2021 के उप खण्‍ड 8(2) के अंतर्गत प्राधिकरण की विशेष अनुमति।**

**एफ.20(2)2010/एमपी**

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

 माननीय राज्यपाल ने दि.वि.प्रा. को निर्देश दिया है कि दिल्ली पुलिस को ‘पुलिस स्टेशन’ के लिए आबंटन के लिए दो से तीन वैकल्पिक साइटों को चिन्हित करे। इन वैकल्पिक साइटों को दिल्ली पुलिस को दिखाया जाए और इस मसलों पर उनकी राय ली जाए। इस मामले को प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

**मद संख्या 108/16**

**दिल्ली मुख्य योजना-2021 में व्यावसायिक केन्द्रों के लिए विकास नियंत्रक मानकों का पुनरीक्षण करना।**

**एफ.15(10)2013/एमपी/पार्ट-I**

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/सुझावों के आमंत्रण के लिए शीघ्र ही सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

**मद संख्या 109/16**

**शालीमार बाग के ब्लॉक बीजी, बीएच एवं बीजे के जे.जे.क्लस्टर को हटाना एवं पुनर्वास।**

**एफ.12(385)06/एचसी/लीगल/पार्ट**

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या 110/16**

**दिल्ली में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना के लिए दि.वि.प्रा. एवं भारतीय नौसेना के संयुक्त उपक्रम के प्रस्तावित मॉडल का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन।**

मद सूची को दि.वि.प्रा. द्वारा आगे चर्चा और संवीक्षा के लिए आस्थगित किया गया।

**मद संख्या 111/16**

**दि.वि.प्रा. आवास योजना-2016**

**एफ.1(16)कॉर्डिनेशन(हाउसिंग)/2015/डीडीए**

 आवासीय योजना-2016 के लिए मद सूची में निहित प्रस्ताव निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गयाः-

1. जनता, निम्न आय वर्ग/एक कमरे वाले एवं ई.एच.एस. फ्लैटों के लिए आवेदन शुल्क 1,00,000/- रुपये होगा एवं मध्य आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के फ्लैटों के लिए आवेदन शुल्क 2,00,000/- रुपये होगा।
2. दि.वि.प्रा. के पास उपलब्ध उच्च आय वर्ग के 79 फ्लैटों को, इस योजना के अंतर्गत आबंटन के लिए शामिल किया जाएगा।
3. इस योजना के अंतर्गत फ्लैटों का आबंटन फ्री-होल्ड आधार पर किया जाएगा एवं आबंटन के 5 वर्ष के बाद हस्तांतरण विलेख के निष्पादन पर प्रतिबंध को इससे हटा दिया गया है। हस्तांतरण विलेख का निष्पादन निर्धारित समायावधि में फ्लैट की लागत के 100% प्राप्ति के पश्चात् किया जाएगा।

**मद संख्या 112/16**

**दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड के 4771.12 वर्ग मीटर मापित वाले क्षेत्र को ‘आवासीय’ से ‘सरकारी (सरकारी कार्यालय)’ में प्रस्तावित परिवर्तन के प्रस्ताव के संबंध में, जो कि योजना, जोन-डी, जोन, दिल्ली में पड़ने वाले सराय काले खाँ में दि.श.आ.बो. (DUSIB) के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए है।**

**एफ.20(2)2014-एमपी**

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/सुझावों के आमंत्रण के लिए शीघ्र ही सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

**मद संख्या 113/16**

**अध्याय 12 में प्रस्तावित संशोधनः बस डिपो/टर्मिनलों में सार्वजनिक बसों के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग के संबंध में दि.मु.यो.-2021 के अध्‍याय-12: परिवहन में प्रस्‍तावित संशोधन।**

**एफ.20(7)/2015-एमपी**

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। यह मामले शहरी मंत्रालय, भारत सरकार के पास अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शीघ्र ही भेजा जाए।

**मद संख्या 114/16**

**जोन-सी में आने वाले बंगला रोड स्थित 1.264 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग का ‘सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं’ से ‘व्यावसायिक’ (गैर-श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केन्द्र) (सी-1) में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव।**

**एफ.20(04)/2016-एमपी**

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। यह मामले शहरी मंत्रालय, भारत सरकार के पास अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु यथाशीघ्र भेजा जाए।

**मद संख्या 115/16**

**कठपुतली कॉलोनी से आनंद पर्बत ट्रांजिट कैम्प, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी निवासियों का स्थानांतरण**

**एफ. केपीसी/11/डीडीए/2016**

इस दिशा में हुए प्रयासों को नोट किया और मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या 116/2016**

**दि.वि.प्रा. के फ्लैटों के आबंटितियों/खरीददारों को स्कूटर/कार गैराजों को आबंटन करने संबंधी नीति में संशोधन।**

**एफ.1(पॉलिसी) फाइल/गैराज/द्वारका/एसएफएस**

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या 117/2016**

**तेहखण्ड (ओखला) क्षेत्र में पीपीपी मॉडल आधारित आवासीय परियोजना के संबंध में मैसर्स कैनेथ बिल्डर्स एण्ड डेवेलपर्स लिमिटेड को 6% ब्याज के साथ 450.81 करोड़ रुपये की धन-वापसी।**

**एफ.1(21)06/एलएबी(रेजी.)/डीडीए**

एजेंडा मद में दी गई जानकारी को नोट किया गया।

**प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए ‘अन्य बिन्दु’**

1. श्री विजेंदर गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मुख्य योजना-2021 से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे भूमि उपयोग के ‘औद्योगिक’ से ‘आवासीय’ में परिवर्तन पर निर्णय लिया गया था अपितु दरों पर अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
2. श्री ओ.पी.शर्मा ने कहा कि विश्वास नगर क्षेत्र के मार्गाधिकार पर अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके द्वारा किए गए अनेक अनुरोधों के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. माननीय उप राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाए, जो उस क्षेत्र में जाए एवं झुग्गियों के पुनःस्थापन के लिए वैकल्पिक साइटों के प्रस्ताव के साथ संबंधित मामलों को यथाशीघ्र प्रस्तुत करे।
4. श्री सोमनाथ भारती ने यह भी इच्छा प्रकट की कि उनके निर्वाचन क्षेत्र इंदिरा कैम्प, वाल्मिकी कैम्प एवं एफ ब्लॉक, मालवीय नगर में दि.वि.प्रा. की भूमि पर झुग्गी वासियों के पुनः स्थापन की योजना बनाई जाए।
5. श्री ओ.पी.शर्मा ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में दि.वि.प्रा. के बहुत बड़े खाली प्लाट है, जो कि समूह आवास योजनाओं के लिए आबंटन हेतु चिन्हित है, तद्नुसार सूचना पट्ट भी लगाए गए हैं। इन प्लाटों की उचित रूप से सुरक्षा की जानी चाहिए एवं अतिक्रमण रोकने हेतु इसे खाली न रखे जाने पर ध्यान देना चाहिए। कड़कड़डूमा क्षेत्र में खाली पड़े प्लाटों पर दि.वि.प्रा. के आवास बनाए जाने पर विचार दिया जा सकता है।
6. श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी दि.वि.प्रा. के कई खाली पड़े हुए कीमती प्लाट हैं, जिनकी सुरक्षा रखी जानी चाहिए।
7. माननीय उप राज्यपाल ने माननीय सदस्यों से अपने निर्वाचन/क्षेत्रों में इन खाली पड़ी सम्पत्तियों की एफ सूची बनाने के लिए आग्रह किया।
8. श्री सोमनाथ भारती ने सदस्यों का ध्यान निम्न ओर आकर्षित किया-
9. दि.वि.प्रा. को अपनी भूमि की सुरक्षा पर ध्यान रखना चाहिए एवं दि.वि.प्रा. के विभिन्न शाखाओं को सदैव आपस में समुचित समन्वय बनाए रखना चाहिए, जिससे विभिन्न मामलों में होने वाले अनुचित/दीर्घकालीन मुकदमेबाजी से बचा जा सके।
10. अलकनंदा में प्रस्तावित माल की अवस्थिति।
11. बेगमपुर में तालाब की सफाई की आवश्यकता।
12. बेगमपुर में कब्रिस्तान की भूमि को समुदाय को दी जाए।
13. ग्रीन पार्क में श्‍मशान भूमि की तरफ जाने वाले रास्ते को दुरुस्त किया जाए।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापन दिया।

बैठक की समप्ति अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुई।